प्रेस विज्ञप्ति
10.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 09.09.2026 को मध्य प्रदेश में स्थित मेसर्स निमाड़ एग्रो पार्क, इसके साझेदारों तथा इससे संबद्ध संस्थाओं मेसर्स बी.एस. कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्री राजराजेश्वर डेवलपर्स और मेसर्स श्री राजराजेश्वर वेंचर्स से जुड़े 04 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। उक्त तलाशी अभियान नाबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा स्थित मेसर्स निमाड़ एग्रो पार्क को स्वीकृत ₹13.99 करोड़ के ऋण के कथित तौर पर अन्यत्र उपयोग एवं दुरुपयोग से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया।

ईडी की जांच कोलकाता स्थित सीबीआई, आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मेसर्स निमाड़ एग्रो पार्क के साझेदारों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स निमाड़ एग्रो पार्क ने वर्ष 2019 में खाद्य प्रसंस्करण निधि योजना के तहत ग्राम जामली, सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर (एपीसी) की स्थापना के लिए नाबार्ड से ₹13.99 करोड़ का सावधि ऋण प्राप्त किया था। परियोजना की कुल लागत ₹31.04 करोड़ थी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ₹10 करोड़ की अनुदान सहायता, ₹7.05 करोड़ का प्रवर्तकों का अंशदान तथा नाबार्ड का सावधि ऋण शामिल था।

ईडी की जांच से आगे पता चला कि ऋण की राशि का कथित रूप से इच्छित परियोजना उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के बजाय अन्यत्र उपयोग एवं दुरुपयोग किया गया। परियोजना अधूरी रह गई तथा तत्पश्चात दिनांक 29.09.2024 को ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप नाबार्ड को ₹13.99 करोड़ की अनुचित हानि हुई।

तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए तथा 04 बैंक लॉकर फ्रीज किए गए। तलाशी अभियान कथित अपराध से अर्जित आय से प्राप्त अथवा उससे संबद्ध संपत्तियों तथा दस्तावेजी साक्ष्य और वित्तीय अभिलेखों का पता लगाने एवं उनकी पहचान करने के साथ-साथ धन के संपूर्ण प्रवाह का पता लगाने तथा कथित षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण करने के उद्देश्य से चलाया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।